सं0सं0–7/बजट–46–11/2023– 509 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–13/03/2025

विषयः– "विकसित बिहार के सात निश्चय–1" अंतर्गत पटना प्रमंडल में नवनिर्मित ए0एन0एम0 स्कूल, जी0एन0एम0 स्कूल एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज के पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत नवनिर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओं में अधिष्ठापित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से Turnkey Basis पर चिन्हित उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में, रु0 5,90,80,000/–(रुपये पाँच करोड़ नब्बे लाख अस्सी हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू० 99,41,600/– (रुपये निन्यानवे लाख इकतालिस हजार छः सौ) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि "विकसित बिहार के सात निश्चय–1" अन्तर्गत राज्य मे 54 मुख्यमंत्री निश्चय ए0एन0एम0 स्कूल के निर्माण हेतु, 23 मुख्यमंत्री निश्चय जी0एन0एम0 स्कूल के निर्माण एवं 16 मुख्यमंत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के निर्माण के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमे केवल भवन, फर्निचर आदि कार्य ही शामिल रहने के कारण 6 विविध प्रयोगशालाये (Skills Lab, Community Health Nursing Lab, Nutrition Lab, Anatomy and Physiology Lab, Pre-Clinical Lab & IT Lab) हेतु उपकरण एवं उपस्करो को अधिष्ठापित नही किया जा सका है।

2– अतएव नवनिर्मित भवनो के सभी प्रयोगशालाओ के संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार अन्तर्गत Indian Nursing Council के National Health Policy Revised Operational Guidelines–2017 के अनुरूप संस्थान–कोटिवार उपकरणो की संख्या एवं बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना अन्तर्गत गठित तकनीकी विशिष्टता समिति के द्वारा प्राक्कलित दर पर होने वाले व्यय विवरणी प्रमंडलवार तैयार की गयी है। निर्माण एजेन्सी (BMSICL) के द्वारा प्रमंडलवार Turnkey Basis पर सभी संस्थानों मे उपकरणो की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन किया जाना है। इसके लिए पटना प्रमंडल अन्तर्गत नवनिर्मित संस्थानो हेतु रु० 5,90,80,000/–(रुपये पॉच करोड नब्बे लाख अस्सी हजार) मात्र की मांग की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में, रु0 5,90,80,000/–(रुपये पॉच करोड नब्बे लाख अस्सी हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–562(7), दिनांक–20.03.2023 द्वारा प्रदान की गयी है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश सं0 एवं दिनांक
1	2023–24	2,00,00,000/–	सं0–249(7), दिनांक–27.09.2023
2	2023–24	1,50,00,000/–	सं0–478(7), दिनांक–15.02.2024
		3,50,00,000/–	

4– तद्नुसार "विकसित बिहार के सात निश्चय–1" अंतर्गत पटना प्रमंडल मे नवनिर्मित ए0एन0एम0 स्कूल, जी0एन0एम0 स्कूल एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज के पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत नवनिर्मित भवनो के सभी प्रयोगशालाओ मे अधिष्ठापित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से Turnkey Basis पर चिन्हित उपकरणो एवं उपस्करो के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 मे, रु0 5,90,80,000/–(रुपये पॉच करोड नब्बे लाख अस्सी हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 मे रू० 99,41,600/– (रुपये निन्यानवे लाख इकतालिस हजार छः सौ) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं0–562(7), दिनाक–20 03 2023 में वर्णित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

6– यह व्ययादेश/राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03 12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान–105–एलोपैथी–0112–ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल, विपत्र कोड–20–4210031050112 अन्तर्गत विषय शीर्ष–0112–52 02 मशीने एव उपस्कर–अन्य ईकाई मे उपबधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-5265 मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

10– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे।

11– प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–7/बजट–46–11/2023 के पृष्ठ–13/टि0 पर प्राप्त है।

12– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14 यह मात्र व्ययादेश है, आवंटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/बजट–46–11/2023 – 509 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक–13/03/2025

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर एवं कैमूर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर एव कैमूर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6 एव 7/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव सबधित को ई मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।